ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

सीआईन : U67100TZ2014PTC020363, निगमित कार्यालय : कोहिनूर स्क्वॉयर, 47वाँ तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई – 400028,

ईमेल : kalpesh.ojha@omkaraarc.com, प्राधिकृत अधिकारी मोबाइल नं.: +91 9769825323

[परिशिष्ट - IV-ए] [नियम 8 (1)] 8(6) का प्रावधान देखें]

अचल संपत्ति के विक्रयार्थ ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

ई–नीलामी की तिथि : 08 अक्टूबर 2024

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (1), नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता अर्थात् ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल), जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमीकृत एक कंपनी है तथा जो वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) (''सरफॉएसि अधिनियम 2002'') की धारा 3 के अंतर्गत एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ विधिवत पंजीकृत है, जिसका सीआईएन नं. U67100TZ2014PTC020363 है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय 9, एम.पी. नगर, प्रथम मार्ग, कोंगू नगर एक्स., तिरुपुर–641607 में एवं निगमित कार्यालय कोहिनूर स्क्वॉयर, 47वाँ तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई – 400028 में स्थित है, जो ओमकारा पीएस–26/2021–22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत् है, के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न वर्णित अचल संपत्ति (प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का विक्रय किया जायेगा। इसने पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएचएफएल) (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विदित) से रेखांकनकारी प्रतिभूतियों के साथ उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) की संपूर्ण बकाया राशि के समस्त अधिकारों, स्वामित्व एवं हितों का वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 5 के अंतर्गत एसाइमेंट अनुबंध दिनांकित 30–09–2021 के माध्यम से अधिग्रहण कर लिया है।

इसके अतिरिक्त, अवर जनपदाधिकारी, आगरा द्वारा मेमो सं. 10978 ऑफ 2022 दिनांकित 17–05–2023 के माध्यम से पारित आदेशानुसार, प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी ने 11–01–2024 को प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का भौतिक अधिग्रहण कर लिया है तथा उक्त परिसंपत्ति(यों) का ''जैसी हैं जहां हैं'', ''जैसी हैं जो हैं'' तथा ''वहां जो कुछ भी हैं'' आधार पर निम्नांकित तिथि पर विक्रय किया जायेगा, जो कि निम्न वर्णित उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुगतेय निम्नांकित देयराशियों की वसूली हेतु किया जायेगा। आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा (ईएमडी) तथा अन्य विवरण निम्न वर्णितानुसार प्रस्तुत हैं :

उधारकर्ता एवं सह–उधारकर्ता के नाम	अचल संपत्ति के विवरण	बकाया देयराशियां रु. में	मांग सूचना की तिथि	अधिग्रहण की तिथि	आरक्षित मूल्य (रु.)	धराज (रु.)	निरीक्षण तिथि एवं समय
1) सोनू शर्मा (उधारकर्ता / बंधककर्ता) और 2) मंगेश शर्मा (सह–उधारकर्ता)	मकान नगर निगम संख्या 18/86 जो मैथन कोतवाली वार्ड तहसील और जिला आगरा– 282003 में स्थित है, अधिमापन 116.12 वर्ग मीटर, सीमा : पूर्व– 10 फीट लेन, पश्चिम : मकान संख्या 18/106 राम किशन श्रीवास्तव, उत्तर : मकान संख्या 18/85 छोटे लाल वर्मा, दक्षिण : मकान संख्या 18/87 जयंती सरन शर्मा	रु. 19,53,173/– (रुपये उन्नीस लाख तिरेपन हजार एक सौ तिहत्तर मात्र) 23–06–2021 के अनुसार साथ में संविदागत ब्याज और तिथि तक उस पर अन्य शुल्क।	23–06–2021 एमएचएफएल द्वारा	11–01–2024	10,01,000	1,00,100	03–10–2024 अप. 2:00 से 4:00 बजे

धराज के भुगतान तथा बोली प्रपत्र प्रस्तुति की अंतिम तिथि : 07–10–2024 को 6.00 बजे तक

नीलामी तिथि एवं समय : 08–10–2024 को समय : 3.00 बजे – 05.00 बजे | वृद्धिशील मूल्य : रु. 10,000/–

1. इच्छुक बोलीदातागण जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–बोलीदान प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई–नीलामी सेवा प्रदात्री ''मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड'', दूरभाष हेल्पलाइन : +91–7291981124 / 25 / 26, हेल्पलाइन ई–मेल आईडी : support@bankeauctions.com या श्री भाविक पंड्या, मोबाइल : 88666 82937, ईमेल : maharashtra@c1india.com से संपर्क कर सकते हैं।

2. संपत्ति संबंधी किसी भी प्रश्न अथवा अनुसूचीगत संपत्ति के निरीक्षण के लिए इच्छुक व्यक्ति संबंधित प्राधिकृत अधिकारी– आशीष नांगिया (मोबाइल 9323642445), ई–मेल : Ashish.nangia@omkaraarc.com से अथवा उपरोक्त वर्णित पते पर कार्यदिवसों के दौरान कार्यालय समयावधि में संपर्क कर सकते हैं। विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया http://omkaraarc.com/auction.php में दिए गए लिंक को देखें।

सांविधिक हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) व 9(1) के अंतर्गत विक्रय की सांविधिक सूचना

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता(ओं) /सह–उधारकर्ता(ओं) हेतु, लागत एवं व्ययों के साथ यहां इसमें उपरोक्त तालिका में अंकितानुसार बकाया देयराशियों का भुगतान करके उनके द्वारा यदि वे इच्छुक हैं परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त करने की सलाह के साथ उपरोक्त संदर्भित तिथि एवं समय पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से विक्रय कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में उन्हें सूचित करते हुये पंद्रह दिनों (15) दिनों की एक अनिवार्य सूचना भी है। भुगतान में चूक की स्थिति में, संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता के विवेक पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (5) के अंतर्गत निर्धारितानुसार किसी भी माध्यम से बेचा जाना है।

हस्ता./–

दिनाँक : 20–09– 2024 | **प्राधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड**

स्थान : मुंबई | **(ओमकारा पीएस26/2021–22 ट्रस्ट के एक ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत्)**

पंजीकृत कार्यालय : डीसीबी बैंक लि. 6वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिज़नेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लॉअर परेल, मुंबई – 400013 शाखा पता : ए–सेट हाउस, 7/56, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

DCB BANK

ई–नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002) के नियम 9(1) के तहत

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण और विशेष रूप से ऋणी(यों), सह–ऋणियों और गारंटरों को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्ति डीसीबी बैंक लि. को गिरवी है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत भौतिक कब्जा ले लिया है। संपत्ति को नीचे वर्णित देयों और भावी ब्याज, शुल्कों व लागतों आदि की वसूली के लिए नीचे वर्णित अनुसार निविदा सह सार्वजनिक ई–नीलामी द्वारा नीचे दिए गए विवरण अनुसार बेची जाएगी। संपत्ति को **''जहां है जैसी है'' और ''जो है जैसी है''** की शर्त पर बेचा जाएगा।

क्र. सं.	ऋणी(यों) व सह–ऋणी(यों) के नाम	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि	कब्जे का प्रकार
1	मुस्ताकीम और कासिफा बेगम	एमपीएल नं. 244, मोहल्ला फिरोज नगर, लिसारी रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002	रु. 3600000/– (रुपए छत्तीस लाख केवल) रु. 360000/– (रुपए तीन लाख साठ हजार केवल) रु. 25000/– (रुपए पच्चीस हजार केवल)	08-10-2024 & 11am-2pm	भौतिक
2	जितेंद्र कुमार और रीना देवी	पुराना म नं. 219 न्यू 380/ए, वार्ड नं. 80, मुलतान नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002	रु. 2500000/– (रुपए पच्चीस लाख केवल) रु. 250000/– (रुपए दो लाख पचास हजार केवल) रु. 25000/– (रुपए पच्चीस हजार केवल)	08-10-2024 & 11am-2pm	भौतिक

संपत्ति की जांच की तिथि व समय : सभी संपत्तियों के लिए 30.09.2024 से 04.10.2024 को सुबह 11.00 से शाम 04.00 बजे के बीच के श्री विपिन शर्मा, श्री आकाश नारायण, श्री लव कुमार और श्री निकुंज माथुर से 9015145855, 7654139339,9999500011 और 9818979116 से सुबह 11 से शाम 6 बजे के बीच संपर्क करें। **ईएमडी जमा करने की तिथि व समय : 07.10.2024 को शाम 5.00 बजे तक या पहले, email id vipin.sharma1@dcbbank.com, akash.narain@dcbbank.com, love.kumar@dcbbank.com & nikunj.mathur@dcbbank.com पर भागीदारी केवाईसी, पैन कार्ड व ईएमडी के प्रमाण के अनुरोध पत्र के साथ। इच्छुक खरीदार/बोलीदाता को डीसीबी बैंक लि. के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ईएमडी राशि जमा करनी होगी।**

ई–नीलामी की नियम व शर्तें :

(1) **असद जावेद खान और अजीत कुमार** 7428695102 और 7428993234 ई–मेल आईडी : asad.jk@cartradeexchange.com और ajeet.k@cartradeexchange.com से उनके वेबपोर्टल https://eauction.samil.in पर 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ उक्त तालिका में वर्णित अनुसार तिथियों पर संपर्क करें। बोलीदाताओं को अपनी बोलियां जमा करने से पहले नीलामी बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए लिंक https://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/customer-corner का संदर्भ लेने की सलाह दी जाती है। (2) इच्छुक बोलीदाताओं को पहले ही स्वयं को पोर्टल पर रजिस्टर करने और लॉगिन आईडी व पासवर्ड जो ई–बोली के लिए अनिवार्य है, नीलामी सेवा प्रदाता (SAMIL) से प्राप्त करना होगा। संभावित बोलीदाता केवल अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से ई–नीलामी पर ऑलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। (3) ऑनलाइन ई–नीलामी भागीदारी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करके नीलामी प्रक्रिया में अनिवार्य है जो वेबसाइट पर प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध है।

दिनांक : 20.09.2024 स्थान : दिल्ली, मेरठ, उ.प्र. | **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, डीसीबी बैंक लिमिटेड**

नोटिस न्यायालय सूचना पट्ट (बैंक द्वारा)	:	27.08.2024
नोटिस मौके पर (बैंक द्वारा)	:	30.08.2024
निरीक्षण की तिथि	:	27.09.2024
अमानत राशि जमा एवं रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	:	01.10.2024
ई–ऑक्शन	:	07.10.2024
रिपोर्ट	:	14.10.2024

कार्यालय वसूली अधिकारी - प्रथम

ऋण वसूली अधिकरण, प्रथम तल, सुघरमा - II, किसान भवन के सामने लालकोठी शोपिंग सेन्टर, टोंक रोड, जयपुर (राजस्थान)

(क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)

फार्म संख्या 13

(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38. 52(2) के अन्तर्गत)

वसूली प्रमाण पत्र संख्याः RC NO. 143/2019 IN OA NO. 22 OF 2014

प्रकरण का उनवानः

IDBI BANK LTD. बनाम Manish Jangid & Ors.

विक्रय की उद्घोषणा

यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र संख्या 143/2019 जो कि मूल आवेदन संख्या 22/2014 में दिनांक 25.03.2019 को सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध राशि रुपये 29,85,748.00 की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रणाण पत्र के अनुसार ब्याज, वाद व्यय एवं खर्चों सहित वसूल किये जाने योग्य है।

तथा यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा संलग्न अनुसूचि में वर्णित बन्धकशुदा सम्पत्ति को प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

तथा यह कि वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 24.07.2019 तक ब्याज, वाद व्यय व खर्चों सहित कुल राशि रुपये 50,71,557/- एवं भविष्य का ब्याज बकाया है।

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में सन्दर्भित सम्पत्ति का विक्रय दिनांक 07.10.2024 को C1 India Pvt. Ltd. कार्यालय 3rd Floor, Plot No. 68, Sector-44, Gurgaon, 122003 Haryana, India, Contact No. Bhavik Pandya - 8866682937, mobile no. + 91 7291891124 /25/26 and Vinod Kumar - 8866682931 वेबसाईट www.bankeauctions.com पर 11 AM से 3 PM तक किया जावेगा। दोपहर 03 बजे के बाद 05 मिनट तक यदि बोली नहीं बढ़ाता है तो स्वीकार कर ली जाऐगी। किंतु यदि समय 3.05 से पूर्व कोई बोली बढ़ाई जाती है तो पुनः नीलामी समय 05 मिनट बढ़ा दिया जायेगा।

यह विक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूचि में दिया गया है, का किया जावेगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं दावे जो अभिनिश्चित किये गये हैं, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूचित में विनिर्दिष्ट है।

सम्पत्ति का विक्रय जहां है जैसी स्थिति में है के आधार पर किया जावेगा। सम्पत्ति का विक्रय अनुसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जावेगा। यदि सम्पत्ति के किसी एक भाग के विक्रय से वसूली राशि सन्तुष्ट हो जारी है तो शेष सम्पत्ति के विषय में विक्रय तुरन्त रोक दिया जायेगा। यदि किसी भी लॉट का विक्रय प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज, लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को अदा कर दी जाती है या उसकी सन्तुष्टि के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व खर्चे सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अदा कर दी गई है तो विक्रय रोक दिया जावेगा।

विक्रय हेतु जनसाधारण को स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के जरिये बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, के द्वारा किसी भी रूप में इस सम्पत्ति के विक्रय में बोली में अथवा सम्पत्ति के अर्जन अथवा अर्जन के प्रयास में भाग नहीं लिया जावेगा।

विक्रय आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूचि में वर्णित शर्तों तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अध्ययीन होगाः-

(1) संलग्न सूची में दिये गये विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अंकित है किन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता उद्घोषणा में किसी त्रुटि, असत्य अथवा चूक के लिये कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

(2) सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य राशि रुपये 24.56 लाख निम्नानुसार तक किया गया है, जिससे कम मूल्य में सम्पत्तियों का विक्रय नहीं किया जावेगा।

(3) सम्पत्ति की बोली राशि रु. 10000/- के गुणांक में बढाई जाऐगी तथा बोली की राशि अथवा बोलीदाता के विषय में विवाद उत्पन्न होने पर वह लॉट तुरन्त ही पुनः नीलामी के लिए रख दिया जायेगा।

(4) इच्छुक बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित बैव साईट पर पंजीकृत कराना तथा पहचान चिन्ह व पासवर्ड प्राप्त करना आवश्यक होगा जो कि सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जो बोली लगाये जाने के लिए अनिवार्य है।

(5) बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत आरक्षित राशि वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये जमा करवायी जा सकेगी अथवा एच.डी.एफ.सी. बैंक, सोढाला, जयपुर, राजस्थान IFSC No. HDFC0001843 में संधारित खाता संख्या 50200074019804 में जमा करवाया जा सकेगा। अमानत राशि जमा कराये जाने का प्रमाण, पैनकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से बोली में भाग ले रहे हैं) प्रस्तुत करने होंगे, जो कि सेवा प्रदाता i.e. C1 India Pvt. Ltd. Office at 3rd Floor, Plot No. 68, Sector-44, Gurgaon, 122003 Haryana, India, on e-mail gujrat@C1india.com & support@bankeauctions.com पर भी भेज सकते हैं। उसके उपरांत नियत समय से पूर्व अधिकरण में जमा कराई जावेगी।

(6) किसी भी लॉट के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को सफल क्रेता घोषित कर दिया जावेगा बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित मूल्य से कम नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा, यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो।

(7) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूचि के प्रावधानों के अधीन विक्रय को किसी भी समय स्थगित करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(8) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति के द्वारा घोषणा के तुरन्त पश्चात् (विशेष परिस्थितियों में 24 घण्टे में) क्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि धरोहर राशि को समायोजित करते हुए जमा करवायी जावेगी जो बैंक के उक्त खाता संख्या 50200074019804 में जमा करवायी जायेगी अथवा जरिये डी.डी. (वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण जयपुर) भी अधिकरण में जमा कराई जाएगी।

(9) नीलामी राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि नीलामी की तिथि से 15वें दिवस तक जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश हो तो पश्चात् प्रथम कार्यालय दिवस को ऐसा किया जा सकेगा। उक्त राशि एच.डी.एफ.सी. बैंक, सोढाला, जयपुर में स्थित खाता संख्या 50200074019804 में जमा करवायी जायेगी अथवा डी.डी (वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण जयपुर) भी अधिकरण में जमा कराई जाएगी। उक्त अवधि के भीतर भुगतान में व्यक्तिक्रम किये जाने पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्घोषणा जारी करके कर दिया जावेगा।

(10) ऐसी स्थिति में जमाशुदा राशि को यदि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उचित समझा जावे कि विक्रय के खर्चे समायोजित करन के पश्चात् जब्त सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में क्रेता के उक्त सम्पत्ति या राशि के किसी भी भाग के विषय में सभी अधिकार जब्त हो जायेंगे। सफल बोलीदाता को प्रथम 1000/- रुपये पर 2 प्रतिशत एवं उसके पश्चात् शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउन्डेज फीस का भुगतान जरिये डी.डी. (रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के नाम) करना होगा।

(11) प्रमाणपत्रधारी बैंक के द्वारा इच्छुक बोलीदाता को दिनांक नियत तिथि पर सम्पत्ति के निरीक्षण की अनुमति दी जावेगी जिसके लिए इच्छुक बैंक के अधिकारी श्री संदीप सैनी पद ए.जी.एम. से मोबाईल संख्या 8527439989 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(12) यदि इच्छुक बोलीदाता इन्टरनेट के जरिये बोली न लगा सकते हैं तो वे नोडल अधिकारी/सेवा प्रदाता के माध्यम से नीलामी में भाग ले सकते हैं।

(13) प्रस्तावित बोलीदाता के C1 India Pvt. Ltd. office at 3rd Floor, Plot No. 68, Sector-44, Gurgaon, 122003 Haryana, India, Contact No. Bhavik Pandya - 8866682937, mobile no. + 91 7291891124 /25/26 and Vinod Kumar - 8866682931 के ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं जो वैबसाईट www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है।

(14) अमानत राशि जमा कराये जाने एवं पंजीयन की अन्तिम तिथि 01.10.2024 को सांय 3.00 बजे तक है। इच्छुक बोलीदाता को पंजीयन कराए जाने हेतु आवश्यक के.वाई.सी. दस्तावेजात जो कि सेवा प्रदाता को प्रेषित किए गए हैं, अधिकरण में जमा कराने होंगे।

(15) ऑनलाईन नीलामी सेवा प्रदाता C1 India Pvt. Ltd. के द्वारा दिनांक 07.10.2024 को प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक सम्पादित की जावेगी। दोपहर 03 बजे के बाद 05 मिनट तक यदि बोली नहीं बढ़ाता है, तो स्वीकार कर ली जाऐगी। किंतु यदि समय 3.05 से पूर्व कोई बोली बढ़ाई जाती है तो पुनः नीलामी समय 05 मिनट बढ़ा दिया जायेगा।

(16) असफल बोलीदाताओं द्वारा धरोहर राशि का भुगतान एच.डी.एफ.सी. बैंक, सोढाला, जयपुर के द्वारा अधिकरण से आदेश प्राप्त करने के उपरांत किया जायेगा।

सम्पत्ति का विवरणः

लॉट संख्या	सम्पत्ति के मालिक एवं अन्य सहमालिक का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहाँ सम्बन्धित व्यक्तिकगी जो अन्य से सह-मालिक है	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है।	किसी भी प्रकार के भाग का विवरण जिनके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के संबंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियों जो कि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Plot No. A 91, Balaji Enclave, Block-A, Village-Prahladpura, Tehsil-Sanaganer, Jaipur			

मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांकः 27.08.2024 को जारी।

वसूली अधिकारी- प्रथम
ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर

SHRIRAM Finance | SHRIRAM City MONEY WHEN YOU NEED IT MOST

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

मुख्य कार्यालय : लेवल 3, वोखार्ट टॉवर्स, ईस्ट विंग, सी–2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई 400 051, दूरभाष : 022 4241 0400, 022 4060 3100 वेबसाइट : http://www.shriramfinance.in, पंजीकृत कार्यालय : श्री टावर्स, प्लॉट नं 14ए, साउथ फेज इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई 600 032, शाखा कार्यालय : के.आर.पी.आर. टॉवर ए–25, दूसरी मंजिल अखिल्य विकास योजना, सामने डाले खान पेट्रोल पम्प, अखिल्य सर्किल जोधपुर–342003

परिशिष्ट–IV-A [नियम 8(6) एवं 9(1) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी सूचना

नोट : यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार ''श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड'' को ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड'' के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड'' का नाम बदलकर ''श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड'' कर दिया गया, जो दिनांक 30-11-2022 के नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11.2022 से प्रभावी हो गया।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत अचल सम्पत्तियों की विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/रों एवं जमानती/यों को सूचना दी जाती है कि **श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड** के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका **भौतिक कब्जा श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड)** के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री तालिका में वर्णित के अनुसार कर्जदारों एवं जमानतियों से **श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड** के बकायों की वसूली के लिए **''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है''** आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से 10 **अक्टूबर, 2024 को 11 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप.** के बीच की जायेगी। कर्जदारों तथा जमानतियों के विवरण, बकाया राशि, अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण तथा उस पर ज्ञात ऋणभार, आरक्षित मूल्य एवं जमा धरोहर राशि तथा वृद्धि भी निम्नवत दी गयी है :

कर्जदारों/सहकर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं के नाम	13(2) माँग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) तथा संविदा वृद्धि	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय	सम्पर्क व्यक्ति तथा निरीक्षण की तिथि
ऋण अनुबंध संख्या JODPZTF1703300001 1. मेसर्स सुपर ड्यूड फैशन (प्रोप. उमेश गोदारा) (कर्जदार) पता- पाल बालाजी के सामने, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान-342001 2. श्री उमेश गोदारा पुत्र विरमा राम (सह-कर्जदार/गारंटर) 3. श्री वीरम राम पुत्र नारायण राम (सह-कर्जदार/गारंटर) पताः पाल बालाजी के सामने, पाल रोड, जोधपुर राजस्थान-342001 **कब्जा की तिथि तथा कब्जे का प्रकार** 14-जून-2024 भौतिक कब्जा **ज्ञात ऋण भार** ज्ञात नहीं	मांग सूचना की तारीख- 15-03-2024 रु. 2683906/- (रुपये छब्बीस लाख तिरासी हजार नौ सौ छः मात्र) दिनांक 14 मार्च, 2024 तक तथा भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार	भूमि और भवन का समस्त भाग, प्लॉट नंबर 52, खसरा नंबर 688, 689,689/1,690,690/1, शांति विला योजना, गांव डोली, तहसील लूणी जिला जोधपुर, राजस्थान-342001, माप और विस्तार 200 वर्ग गज, जोधपुर में स्थित, सीमाएं : पूर्व में: सड़क 30 फीट, पश्चिम में: प्लॉट नंबर 24, उत्तर में: प्लॉट नंबर 51, दक्षिण में: प्लॉट नंबर 53	रु. 11,55,000/- (रुपये ग्यारह लाख पचपन हजार मात्र) संविदा वृद्धि : रु. 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) तथा इसके गुणक में **जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रु.)** रु. 1,15,500/- (रुपये एक लाख पन्द्रह हजार पांच सौ मात्र) ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 9 अक्टूबर, 2024 समय 10.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप.	ईएमडी राशि यहां नीचे उल्लिखित खाता विवरणों में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में बैंक का नाम : एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा डॉ. राधाकृष्णन सलाई मायलापोर, चेन्नई बैंक खाता नं. चालू खाता सं. 006010200067449 आईएफएससी कोड : UTIB0000006	10 अक्टूबर, 2024 समय : 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप.	श्री सुरेन्द्र शेखावत 8385906610 श्री तख्त सिंह 783418825 देबज्योति 9874702021 सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि : 29 सितम्बर, 2024 समय 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत 15 दिनों की वैधानिक सूचना

कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी की तारीख यानी 10 अक्टूबर, 2024 से पहले उपरोक्त वर्णित राशि के साथ-साथ अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों का भुगतान करें, जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

**प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी नेक्सजेन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (https://www.disposalhub.com) पर आयोजित की जाएगी और निविदा जमा करने के स्थान / बोली प्रपत्र प्राप्त करने/ निविदा खुलना और नीलामी के लिए, कृपया वेबसाइट https://www.disposalhub.com पर जाएं और बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया श्